न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 899 / 2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. रमेश चन्द्र पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पुत्री जीवनराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री जीवनराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विकास न्यौल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 24/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 286 / 69 के ख0न0 339 की 11.0020 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 99779 / 330060 हिस्सा भूमि व खाता स0 291 / 290 के खसरा न0 199, 200 की कुल 6.0690 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 1 / 9 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 346 / 346 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 1 / 3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादीगण की बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व उनके वारिसों के पक्ष मे त्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 286 / 69 के ख0न0 339 की 11.0020 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 99779 / 330060 हिस्सा भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनो 7–7 बीघा भूमि पर काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 291 / 290 के खसरा न0 199, 200 की कुल 6.0690 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 346 / 346 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे जो कुछ समय तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ललानाबास उतरादा सम्वत 2071–71 खाता स0 286/69, रोही मौजा ललानाबास दिखनादा सम्वत 2071–74 खाता स0 346/346, रोही मौजा ललानाबास उतरादा सम्वत 2071–74 खाता स0 291/290, सदस्य प्रमाण पत्र व जमाबंदी रोही मौजा ललानाबास उतरादा 286/69, 191/290 बहक जीवन पुत्र भोमाराम व रोही मौजा ललानाबास दिखनादा खाता स0 346/346 बहक धर्मा पत्नी जीवणराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादीगण की बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व उनके वारिसों के पक्ष मे त्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 286/69 के ख0न0 339 की 11.0020 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 99779/330060 हिस्सा भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनो 7–7 बीघा भूमि पर काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 291/290 के खसरा न0 199, 200 की कुल 6.0690 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 346/346 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 286/69 के ख0न0 339 की [illegible]020 [illegible]क्ट भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 99779/330060 हिस्सा भू[illegible] व [illegible] खसरा न0 199, 200 की कुल 6.0690 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के [illegible]/9 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 346/346 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैतृक भूमि होना साबित है तथा उक्त वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 के नाम विरासतन दर्ज हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 286/69 के ख0न0 339 की 11.0020 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 99779/330060 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनो को 7-7 बीघा भूमि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 291/290 के खसरा न0 199, 200 की कुल 6.0690 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 346/346 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 899/2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. रमेश चन्द्र पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पुत्री जीवनराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री जीवनराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 899 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विकास न्योल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 286/69 के ख0न0 339 की 11.0020 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 99779/330060 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनो को 7–7 बीघा भूमि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 291/290 के खसरा न0 199, 200 की कुल 6.0690 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 346/346 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:16 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर